12/4/25 आज सुनवाई नहीं हुई। वकील वादी
उपस्थित। तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है
अतः शामिल की जाये। वकील वादी की बहस सुनी
वादी का पक्ष सिद्ध पाया है। रिकार्ड तहसील
कार्यालय से मंगाया जाकर [illegible] किया जाय।
वाद नकलील पत्रावली अभिलेख में रखा जाय।
दो माह के बाद देय [illegible] जाय।

सहायक कलेक्टर (एस०डी०ओ०)
गुरुदावर (सतारा)